

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 9-9/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम पुत्र/पुत्री को परिवार पेंशन देने बाबत.

संदर्भ.—वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ बी-2/92/नियम/चार, दिनांक 8-4-93.

कतिपय विभागों में संदर्भित पत्र के प्रावधानों को प्रयुक्त किये जाने के संबंध में भ्रांति व विरोधाभास की स्थिति समक्ष में आई है.

2. संदर्भित परिपत्र की कण्डिका में दिनांक 8-4-1993 से लागू होने का आशय यह है विकलांग तिथि को आधार न मानते हुए पुत्र/पुत्री को परिवार पेंशन की पात्रता होगी परन्तु देय परिवार पेंशन का वित्तीय लाभ परिपत्र दिनांक 8-4-1993 से ही प्राप्त होगा.

हस्ता./-

(अजय चौबे)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग